न्यायालय उपजिलाधिकारी कुण्डा,प्रतापगढ़

वाद संख्या:– [illegible]

वीरेन्द्र कालेज ऑफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक मनोज कुमार पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी मझिलगॉव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़............ वादी

बनाम

ग्राम सभा मझिलगॉव.. प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0
भूमि स्थित ग्राम मझिलगॉव, परग0 बिहार
तहसील कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़।

निर्णय

पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र वीरेन्द्र कालेज ऑफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक मनोज कुमार पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मझिलगॉव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम मझिलगॉव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा की गाटा संख्या 1359 रकबा 0.501हे0 भूमि को वादी द्वारा अभिलेख में अकृषिक दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त की जांच तहसीलदार कुण्डा से कराई गयी। तहसीलदार [illegible] जॉच आख्या दिनांकित 6.6.2015 संलग्न पत्रावली है। जांच आख्या में [illegible] है कि ग्राम मझिलगॉव परगना बिहार तहसील कुण्डा की गाटा संख्या [illegible] 0.501हे0 भूमि वादी के नाम श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त [illegible] कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा उक्त संस्था का भवन निर्माणाधीन [illegible] है। जॉच से स्पष्ट है कि दी गयी चौहद्दी में अविवादित रूप से अकृषिक [illegible] है, जिसमें वादी कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य [illegible] तथा कुक्कुट पालन है से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कर रहा है।

पत्रावली का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुण्डा [illegible] आख्या दिनॉक 6.6.2015 से सहमत हूँ। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः तहसीलदार कुण्डा प्रतापगढ़ की आख्या दिनांक 6.6.20[illegible] [illegible] करते हुए ग्राम मझिलगॉव, परगना बिहार तहसील कुण्डा [illegible] 1359 [illegible] भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। किसी अन्यथा प्रयोग [illegible] आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की एक प्रति [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 10.6.15

[illegible]
[illegible]